

तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर टिप्पणी
10.08.22	विविध वाद सं०-13/2020-21 राजेश गंडु ————— प्रथम पक्ष बनाम सरन यादव वगैरह ————— द्वितीय पक्ष आदेश आवेदक राजेश गंडु पिता बुटाई गंडु ग्राम-लेवाड़ द्वारा आवेदन दिया गया कि खाता सं०-12/2 प्लॉट सं०-33 रकवा 0.10 ए०, प्लॉट सं०-120 रकवा 0.64 ए०, प्लॉट सं०-121 रकवा 0.18 ए० कुल रकवा 0.92 ए० भूमि सर्वे खतियान में इनके पूर्वज बुटन पाहन के नाम से दर्ज है। इनका जमाबंदी सुरज गंडु के नाम से चल रहा है। उक्त भूमि पर पूर्वज काविज कर खेती करते थे। वर्तमान में उक्त भूमि पर विपक्षी जबरन खेती कर रहे हैं। इसे मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया। आवेदन के आलोक में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया एवं विवादित भूमि से संबंधित राजस्व प्रतिवेदन राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त किया गया। उभय पक्ष द्वारा उपस्थित होकर अपना-अपना पक्ष एवं कागजात दाखिल किया गया एवं राजस्व उप निरीक्षक द्वारा राजस्व प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि खाता सं०-12/2 प्लॉट सं०-33 रकवा 0.10 ए०, प्लॉट सं०-120 रकवा 0.64 ए०, प्लॉट सं०-121 रकवा 0.18 ए० कुल रकवा 0.92 ए० भूमि सर्वे खतियान में इनके पूर्वज बुटन पाहन के नाम से दर्ज है। इस भूमि का जमाबंदी सुरज गंडु के नाम से चल रहा है। भूमि पर पूर्वज काविज कर खेती करते थे लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि पर विपक्षी जबरन खेती कर रहे हैं। वर्ष- 1973-74 तक सरकारी रसीद निर्गत हुआ है उसके बाद बन्द है। प्रथम पक्ष द्वारा सरकारी रसीद अद्यतन निर्गत करते हुए विपक्षी को भूमि को मुक्त करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। प्रथम पक्ष की ओर से निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति दाखिल किया गया है— 1. आफलाईन पंजी-।। 2. ऑनलाईन खतियान की प्रति।	

3. फर्द रिपोर्ट अमीन की प्रति
4. जमींदारी मालगुजारी रसीद
5. सरकारी लगान रसीद ।

विपक्षी की ओर बताया गया कि विवादित भूमि सन् 1942 में बंदोबस्ती प्राप्त है । उस समय से विपक्षी के पिता दखल-कब्जा में हैं । जमींदार को मालगुजारी देकर जमींदारी मालगुजारी रसीद प्राप्त करते रहे । पिता की मृत्यु के बाद विपक्षीगण दखलकार हैं । वर्ष-1954-55 तक मालगुजारी रसीद कटा । पिता की मृत्यु के बाद मालगुजारी नियमित रूप से नहीं कटा एवं रसीद कटना बंद हो गया । विपक्षी उस जमीन पर अभी भी दखल-कब्जा में हैं । इस भूमि पर विपक्षी का घर मकान कुआँ, इन्दरा बना हुआ है । विपक्षी के पिता की मृत्यु के बाद माँ दूसरी शादी कर दूसरे के यहाँ चली गई तथा उक्त समय विपक्षी नाबालिग थे जमीन का कागजात उनकी माँ लेकर चली गई । काफी खोजने के बाद विपक्षी को पता चला । विपक्षी द्वारा विवादित भूमि का जाँच कर वर्ष-1955-56 ई० के बाद से बकाया मालगुजारी लेकर सरकारी रसीद निर्गत करने तथा परिवार को बेदखल होने से बचाने का अनुरोध किया गया है ।

विपक्षी की ओर से हुकुमनामा (कैथी भाषा में) की छाया प्रति दाखिल किया गया है ।

राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि-

1. ग्राम लेवाड़ के खाता सं०-12 प्लॉट सं०-33, 120 एवं 121 रकबा क्रमशः 0.10 ए०, 0.64 ए०, 0.18 ए० कुल रकबा 0.92 ए० भूमि सर्वेखतियानी भूमि है जो सर्वे खतियान में बुटन पहन वो रति पाहन पिता बुधु पाहन के नाम दर्ज है । जिसकी जमाबंदी पंजी-11 के पृष्ठ सं०-30/1 पर खतियानी रैयत के वंशज सुरजा गंडु पिता देवल गंडु के नाम दर्ज है । आवेदक द्वारा पंजी-11 का नकल प्रस्तुत किया गया है जिसमें माँग वर्ष-1974-76 तक दर्ज है । सरकारी रसीद निर्गत नहीं है ।

2. स्थल जाँचोपरांत उक्त भूमि पर जमाबंदी रैयत के वंशजों का दखल-कब्जा नहीं है ।

3. उक्त भूमि पर अवैध रूप से सरण यादव पिता स्व० नागो यादव, इन्दरदेव यादव पिता सरन यादव, राजेश यादव पिता सरण यादव का दखल-कब्जा है । इन लोगों से भूमि से संबंधित कागज की माँग की गई लेकिन कागज प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत पक्ष, कागजात एवं राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया । प्रथम पक्ष का खतियानी रैयत के वंशज होने उनके पूर्वज के नाम से पंजी-11 के

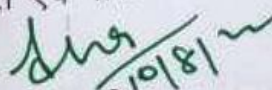
पृष्ठ सं०-30/1 पर जमाबंदी कायम है एवं वर्ष- 1975-76 तक लगान रसीद निर्गत है । विपक्षी के द्वारा विवादित भूमि का एक कैथी भाषा का हुकुमनामा एवं एक मालगुजारी दाखिल किया गया जिसमें भूमि का खाता प्लॉट रकवा अंकित नहीं है और न ही जमाबंदी कायम है । राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार प्रथम पक्ष के पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम है परन्तु दखल-कब्जा, घर मकान कुओं आदि विपक्षी का बना हुआ है । खतियान के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वे खतियान में जंगल धान पूरण पाहन के नाम से हाकिम के तहकीकात मुताबिक लगान/सेस कॉलम में विरित पुजाई, वास्ते करने पूजा भुत के मिला है, महुवा 26 दरखत का फल अन्दर पहनाई के चुनता है बेलगान दर्ज है ।

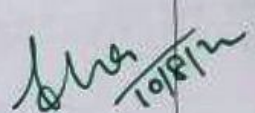
उपरोक्त तथ्यों, उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत पक्ष, दाखिल कागजातों एवं राजस्व उप निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में विवादित भूमि प्रथम पक्ष खतियानी रैयत के वंशज हैं उनके पूर्वज के नाम से जमाबंदी कायम है । विपक्षी के पास कोई प्रमाणिक राजस्व कागजात नहीं है । विपक्षी को अवैध दखल-कब्जा है ।

अतः प्रथम पक्ष के पूर्वज के नाम से कायम जमाबंदी को नियमित करते हुए लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाता है । विपक्षी अवैध रूप से कब्जा में है विपक्षी अवैध कब्जा मुक्त करें ।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय के शरण में जाने के लिए स्वतंत्र हैं ।

लेखापित एवं संशोधित,


अंचल अधिकारी,
कुन्दा ।


अंचल अधिकारी,
कुन्दा ।